न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 84/2022 (GCMS No. 2022/89) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. ओमा पुत्री दूल्हेराम पत्नी छुटल्ली जाति गूर्जर निवासी हाल ग्राम रींझवास तहसील सूरौठ जिला करौली।
2. कम्पूरी पत्नी दूल्हेराम
3. किशनसिंह
4. ज्ञानसिंह
5. देशराज
6. दीवानसिंह
7. विजेन्द

पिसरान दूल्हेराम } जातियान गूर्जर निवासीयान भोजपुर तहसील मासलपुर जिला करौली राज0।

.....अपीलांटस

बनाम

1. बत्तू पुत्र प्रीतम जाति गूर्जर निवासी भोजपुर तहसील मासलपुर जिला करौली राज.।
2. तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली।

..... रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 13.06.2022 मुकदमा नं. 9/2022 उनवानी बत्तू बनाम ओमा वगै.।

उपस्थितिः—

1. अपीलांटस की ओर से श्री कृष्णकुमार सिंघल, वकील।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री पंकज कुमार वकील।

नि र्ण य

दिनांक : 02.02.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत निर्णय जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 13.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पो. संख्या 1 विवादित आराजी का कभी खातेदार या गैर खातेदार नहीं रहा हैं खसरा नम्बर 423 काफी बडा रकवा है जिसमें अपीलांटस 2 बीघा के खातेदार काश्तकार हैं। रेस्पो. संख्या 1 के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसका हक या अधिकार आराजी ख.नं. 423 पर बनना प्रतीत होता है। रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अपना मुख्य आधार कब्जा व पैनल्टी जमा कराना अंकित किया है। इस प्रकार रेस्पो. संख्या 1 मात्र अतिक्रमी की हैसियत है और कब्जे के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। खसरा नम्बर 423 के खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से अपने अपने रकवा के अनुसार व अपने अपने कब्जे शुदा स्थान पर नक्शे में दर्शित कराया गया है जिससे रेस्पो. संख्या 1 के हकों पर कोई विपरीत असर नहीं पडता है। उक्त तरमीम से रेस्पो. संख्या 1

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

परिवेदित नहीं था और न वर्तमान में आज है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. संख्या 1 ने कोई प्रार्थना दफा 96 जा.दी. का अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्तुत नहीं किया जबकि अपील प्रस्तुत करने की अनुमति आवश्यक थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस संख्या 1,2,3,6,7 को जारी सम्मन प्राप्त नहीं हुए और न लेने से इंकार किया। अपीलांटस को कोई सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टस ने आराजी ख.नं. 423 के समस्त विभाजित नक्शे तरमीम में खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तरमीम को आंशिक रूप से केवल खसरा नम्बर 423/8 की सीमा तक निरस्त करने का आदेश दिनांक 13.06.2022 पारित किया गया है। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरवी हेतु वकील श्री पंकज कुमार ने हाजिर अदालत आकर वकलतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित आये।
3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों दोहराते हुये दलील दी कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 423 के खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से अपने अपने रकबा के अनुसार व अपने–अपने कब्जेशुदा स्थान पर नक्शे में तरमीम करवायी है जिससे रेस्पो0 नं0 1 के हकों पर कोई विपरीत असर नहीं पडता है और न ही तरमीम से रेस्पो0 नं0 1 परिवेदित था और न वर्तमान में है। विवादित आराजी का रेस्पों0 नं01 खातेदार नही था और न ही अपील पेश करने का अधिकार था। रेस्पों0 नं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में दफा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया जबकि अपील प्रस्तुत करने की अनुमति आवश्यक थी। रेस्पों0 नं0 1 द्वारा किस आदेश के खिलाफ अपील की उसकी कोई तारीख या निर्णय का दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावे।
5. विद्वान अभिभाषक रेस्पों0 नं01 ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दिये गये तर्कों का खण्डन करते हुए दलील की कि अपीलान्टस ने आराजी खसरा नम्बर 423/8 रकबा 0.5059 है0 वाके भोजपुर की तरमीम लाल स्याही से नक्शे में करायी जो तहसीलदार व हल्का पटवारी द्वारा गलत तरीके की है और इस तरमीम को करने का आदेश तहसीलदार मासलपुर ने हल्का पटवारी व गिरदावर को नही दिये। बिना आदेश के हल्का पटवारी से अपीलान्टस ने मिल्लत कर अपीलान्ट के कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 423/1 के स्थान पर अपीलान्टस ने 423/8 पटवारी से मिलकर बिना कब्जा हुए अपने नाम लाल स्याही से करा ली थी जो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सरासर गलत व निराधार तरमीम है। अपीलान्टस द्वारा तरमीम हेतु तहसीलदार मासलपुर से कोई आदेश नही लिया और न ही पटवारी हल्का को कोई आदेश दिया। इस प्रकार अपीलान्टस ने मनमाने ढंग से नक्शा में लाल स्याही से तरमीम कराकर नक्शे में 423/8 अंकित करा लिया जो गलत व कानून के विपरीत है। उक्त स्थान पर रेस्पों0 का ही कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। इसके अलावा तहसीलदार मासलपुर के पत्रांक 518 दिनांक 29.03.2022 से ही स्पष्ट है कि तरमीम की कोई पत्रावली तहसील स्तर पर संधारित नही है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार मासलपुर द्वारा प्रस्तुत जबाब से स्पष्ट होता है कि तरमीम की कोई पत्रावली तहसील स्तर व पटवार स्तर पर संधारित नहीं है। यह बात सही है कि रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी का खातेदार नहीं है लेकिन तरमीमशुदा आराजी पर उसके बुजुर्गान के समय से कब्जा चला आ है और वे इसकी पेनल्टी भी अदा करते आ रहे हैं और अपीलान्टस का कब्जा इस स्थान पर न होकर अन्य स्थान पर है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टस द्वारा न तो जबाब पेश किया गया और न ही आपत्ति दर्ज करायी गई। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नक्शा में तरमीम बिना किसी विधिक आदेश के हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही ही तरमीम को निरस्त किया है और तहसीलदार मासलपुर को पुनः हाल अपीलांटस के कब्जे की जॉच कर तरमीम करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा दी गई दलीलें सारवान प्रतीत होती हैं। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे कोई त्रुटि या विसंगति प्रतीत नहीं होती है तथा हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नहीं समझते हैं। उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलान्टस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. फलस्वरूप उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलान्टस की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.06.2022 को यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर